न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

र्णय मिसल संख्या/नयाबत /18/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री सुरेश, रामोतार पुत्र रूड़ाराम जाति माली निवासी ढाणी बगड़िया तन चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

निर्णय दिनांकः– 07 अक्टूबर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है, कि पटवारी हल्का राजोता के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम चिरानी स्थित राजकीय भूमि ख0न0 32 के रकबा 0.28 है0, में से रकबा 0.28 है0 , किस्म गै0मु0 नदी में जोत लगाकर श्री सुरेश, रामोतार पुत्र रूड़ाराम जाति माली निवासी ढाणी बगड़िया तन चिरानी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की तामिल विधिवत रूप से हुई है, जो सूचना हेतु पर्याप्त है। परन्तु आज कोई हाजिर नहीं। उसकी ओर से अन्य भी कोई हाजीर नहीं। कोई जवाब ,सबूत आदि भी प्राप्त नही हुआ है। इस प्रकार गैर सायल के विरूध एकतरफा कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 0.14 रूपया का 50 गुणा= 7 / रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

रा. ले. सं. 4 वर्ष 20-21
पृष्ठ नं. 17 राशि 7/-
कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
24-12-20

(अनु शर्मा)
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार खेतड़ी.)